separate set of rules as distinct from those of Government of India in this regard,

(b) what are the details of rules which govern KVS' select panels for direct recruitment;

(c) whether these have since been applied while operating panels of candidates selected for direct recruitment to the posts of Assistant Commissioners; and

(d) if so, the details therefor and if not, the reasons and justification thereof?

मानव ससाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए नियमों और अनुदेशों का आवश्यक परिवर्तनों के साथ, सामान्यत: अनुसरण किया जाता है। पदोन्नतियां, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सिफारिश की गई नाम-सूची के आधार पर और सीधी भर्ती और चयन समिति द्वारा खले चयन और तैयार की गई नाम सूची के आधार पर की जाती है।

(ग) और (घ) जी हां। वर्ष 1993–94 के दौरान सहायक आयुक्तों के पदों के लिए नाम चयन सूची कार्य-विधि और नियमों के अनुसार तैयार की गई थी।

Preparation of select panels for different posts in K.V.S.

@*669 SHRI SUNDER SINGH BHANDARI:

SHRI SHIV CHARAN:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any provision of preparing select panels of direct recruits to different categories of posts of Kendriya Vidyalaya Sangathan in two parts—i.e. main panel and reserve panel;

(b) whether it is also a fact that the reserve panel is operated upon only after giving offers to all those finding place in the main panel; and

(c) if so, the reason and justification of operating both the parts simultaneously in case of select panels of Assistant Commissioners recently.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सहायक आयुक्त के पद पर सीधी भर्ती चयन समिति द्वारा खुले चयन और तैयार की गई नाम-सूची के आधार पर की जाती है। नियुक्तियां उपलब्ध रिक्त पदों पर नाम-सूची में उम्मीदवारों के क्रमानुसार की जाती है और शेष उम्मीदवारों को, यदि कोई हों, आगे होने वाले प्रत्याशित रिक्त पदों के लिए आरक्षित रखा जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चतुरानन मिश्र : महोदया, मामला यह है कि केन्द्रीय विद्यालय सीधे केन्द्रीय सरकार के मातहत है जिनकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है। एक-एक सेक्शन में 80–85 स्टूडेंट्स रहा करते है उनके बैठने के लिए जगह नहीं होती। जो साइंस लेबोरेट्री वगैरह है उसका कम से कम 10वीं क्लास तक इस्तेमाल नही हो रहा है। बहुत तेजी से पतन हो रहा है शिक्षा के स्टेंडर्ड का। हमने जब पूछा कि इसको दुरुस्त करने के लिए जो वी. डी. शर्मा कमेटी 1987–88 में बनी थी तो उसको लागू करने के लिए क्या किया गया है, तो मंत्री महोदया कहती है कि एक और कमेटी बैठा दी। अब पहली कमेटी बैठी 1987–88 में, दूसरी हाइ पावर कमेटी बैठी 1988–89 में, तीसरी सब कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी बैठी 1989 में और चौथी अभी बैठी है भाई देवेन्द्र मेहना कमेटी। वह कह रहे है कि 10

@Question Nos. 664, 665 and 669 have been clubbed being the similar Questions.

लाख रुपया दीजिए कि सारे भारत में घूमें । यह जो चरागाह बनाए हुए हैं, आप, तो हम जानना चाहते हैं कि इस तरह से कैसे शिक्षा के स्टेण्डर्ड को ऊंचा किया जा सकता है ? इस लिए मेरा पहला प्रश्न यह है कि जो बी. डी. शर्मा कमेटी है सरकार इस की अनुशंसाओं को निर्धारित समय के अंदर लागू करेगी और उसमें शिक्षक संगठनों का सहयोग लेकर जल्द से जल्द इसका निराकरण करेगी । अगर सरकार इससे सहमत न हो तो क्या पार्लियामेंट की एक कमेटी बैठायेंगे जो जाकर इसकी जांच करें ? यह मेरा पहला प्रश्न है ।

कुमारी शैलजा : मैडम, ऐसा है यह कमेटी बी. डी. शर्मा कमेटी 87–88 में बैठी थी । 88 में आपने रिपोर्ट दी तो तकरीबन 40 रिकमेंडेशंस थी । इसका मैं थोड़ा सा सीक्वेंस बता दूं . . .

श्री चतुरानन मिश्र : सीक्वेंस न बतायें क्योंकि समय नहीं है । हम चाह रहे हैं कि कोई टाइम लिमिट फिक्स कर दें जिसमें इसको लागू किया जाए और वहां के शिक्षक संगठनों से सहयोग लेकर लागू किया जाए । अगर इसको न किया जाए तो पार्लियामेंट के मेम्बरों की एक कमेटी You are fond of committees.
सदस सदस्यों की एक कमेटी बना दीजिए जिससे सही सफाई हो सके ?

कुमारी शैलजा : मैडम, ऐसा है इसको एक्जामिन किया जाता है बोर्ड आफ गवर्नर्स में । बोर्ड आफ गवर्नर्स में पार्लियामेंट के मेम्बर्स ही होते है । उसने ही यह डिसाइड किया था कि यह सब-कमेटी को दिया जाये । इसी के आधार पर यह सब-कमेटी बनाई गई । लेकिन हमें पूरा विश्वास है जल्दी ही अगले 6 महीने में . . .

श्री चतुरानन मिश्र : कोई टाइम बता दीजिए ।

कुमारी शैलजा : अगले 6 महीने में हमें पूरा विश्वास है इसकी रिपोर्ट आ जायेगी और उसको बोर्ड आफ गवर्नर्स में भेज दी जाएगी इसके बाद हम लेंगे । निर्णय लेने का काम बोर्ड आफ गवर्नर्स का है । उसके बाद ही इसको लागू किया जा सकता है ।

श्री चतुरानन मिश्र : इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात है. . . .

उपसभापति : आपके दो हो गये आप बैठ जाइये ।

श्री चतुरानन मिश्र : आप देख ही रही है अभी तो एक भी नहीं हुआ । यह कही रही है कि 6 महीने में. . . .

उपसभापति : यह कह रही है कि आप जैसे गणमान्य सांसद इस कमेटी के मेम्बर है । **(व्यवधान)** जो मैंने सुना है

in spite of doing some work, I heard what she said.

गणमान्य सदस्यों को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई है । उस कमेटी का यह निर्णय था कि कि एक सब-कमेटी बनाई जाए । उसके अंदर यह कोई दखल नहीं दे सकती मंत्री होकर क्योंकि कमेटी के पास मामला है । जब कमेटी रिपोर्ट दे देगी उस पर यह निर्णय ले लेंगी । हां, इतना यह कर सकती है कि यह कमेटी तक आपकी बात पहुंचा देंगी कि जल्दी निर्णय ले ।

श्री चतुरानन मिश्र : अगर हमारी मंत्री महोदया इतनी असहाय हैं कि कमेटी को पहुंचाने के लिए हमें एक गिफ्ट वहां करना होगा तो हम अपने आप ही भेज सकते है ।

उपसभापति : आप जैसे गणमान्य पार्लियामेंट के सदस्य हैं । आप एक जगह यह डिसिजन लेते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं ।

श्री चतुरानन मिश्र : 87 में कमेटी बनी आज तक कमेटी, सब-कमेटी, सब-कमेटी चली आ रही है । कोई टाइम तो हो । कुछ लज्जा तो आनी चाहिए । **(व्यवधान)**

उपसभापति : टाइम निर्धारित कर दीजिए ।

कुमारी शैलजा : मैंने कहा कि अगले 6 महीने में मुझे विश्वास है इसकी रिपोर्ट आ जायेगी । जैसे ही इसकी रिपोर्ट आ जायेगी बोर्ड आफ गवर्नर्स की मीटिंग में उसको रखा जायेगा ।

श्री चतुरानन मिश्र : अगर आप सेटिसफाई हैं तो ठीक है ।

उपसभापति : I do not allow this. 6 महीने के बाद पूछ लीजिए । यह मंत्री रहने वाली हैं 6 महीने तक ।

श्री चतुरानन मिश्र : हमको लग रहा है शिक्षा मंत्रालय शिक्षा को छोड़ कर बाकी सब काम कर रहा है । दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि हम लोगों ने तय किया है इस भारत को भी गैट आफ इंडिया में बोल दिया है, ग्लोबलाइजेशन । तो थे चाहता हूं जो केन्द्रीय विद्यालय है उनका स्टैण्डर्ड कैसे उन्नत देशों के समान हो, जैसे जापान है, यू. एस. ए. है, उसके लिए सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है ताकि हम भी उनके समकक्ष निकल सकें क्योंकि सर्विस सेक्टर ही है जिसके द्वारा वर्ल्ड में हम कम्पीट कर सकते हैं । तो इसको आप कैसे करने जा रहे हैं यह आप बता दीजिए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Upgradation of standards.

कुमारी शैलजा : यह निरन्तर प्रयास रहता है कि हम इसको इम्प्रूव करें । हम सी. बी. एस. ई. को फालो करते हैं । टाइम टाइम पर अपनी तरफ से के.वी. एस. इस बारे में प्रयत्नशील है ।

श्री शिवचरण सिंह : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि कमेटियों का जो सिलसिला 1963 से चला है और एक बी. डी. शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त हुई, यह 63 में हुई थी और 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद से सिलसिला चलता जा रहा है । आपने अपने उत्तर में भी कहा है चेयरमैनशिप में....

"....Empowered Committee under the Chairmanship of Secretary of Human Resource Development Ministry."

फिर आपने यह एक कमेटी अपाएंट कर दी । इस कमेटी की रिपोर्ट कितने दिनों में आ जायेगी ? यह केन्द्रीय विद्यालयों को ठीक करना जिसमें शिक्षा का स्तर, डिगिनिटी आफ लेबर से सम्बन्धित सब्जेक्ट है, तो थे जानना चाहता हूं यह कमेटी की रिपोर्ट कितने दिनों में आ जायेगी और कितने दिनों में इसको लागू कर दिया जायेगा ?

कुमारी शैलजा : मैडम, पहली बात तो यह है कि माननीय सदस्य की इन्फारमेशन थोड़ी गलत है । कमेटी 1963 में नहीं 1987 में सैट-अप की गई थी । दूसरी बात जो उन्होंने पूछी वह माननीय सदस्य पहले पूछ चुके हैं और मैंने उनका जवाब दे दिया है ।

श्री शिवचरण सिंह : मान्यवर, आपको मालूम है कि एक चट्टोपाध्याय कमेटी अप्वांइट हुई थी । उसकी जो रेकमन्डेशंस थी, उनको 13 राज्यों ने लागू कर दिया । लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उसको आज तक लागू नहीं किया । तो क्या आगे भी जो यह कमेटी रिपोर्ट देगी या जो रेकमन्डेशंस करेगी उनको मानेंगी या नहीं मानेंगी ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have clubbed the questions. That is why I amcalling Mr. J. S. Raju.

यह सब सवालों का एक ही कम्बाइंड सवाल है । ... **(व्यवधान)** ...शिवचरण जी आप दो-दो तीन-तीन सवाल पूछेंगे तो जवाब नहीं आयेगा ।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : 13 राज्यों ने चट्टोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं की है । वह तो आपकी कमेटी है । ... **(व्यवधान)** ...

उपसभापति : तीन आदमी कैसे बोलेंगे ... **(व्यवधान)** ...

श्री शिवचरण सिंह : मेरा प्रश्न था कि चट्टोपाध्याय कमेटी ने जो सिफारिश की थी उनको 13 राज्यों ने लागू कर दिया है । आपने उनको क्यों लागू नहीं किया, यह मैं जानना चाहता था । इसका जवाब तो आना चाहिये ।

कुमारी शैलजा : जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है चट्टोपाध्याय कमेटी की रेकमन्डेशंस को भी ध्यान में रखा गया था जब यह किया गया था ।

श्री शिवचरण सिंह : चट्टोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ .... **(व्यवधान)** ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing. Shri Raju.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: He has asked twenty-five supplementaries.

उपसभापति : आर्डर प्लीज । शिवचरण जी ,आप एक सबजेक्ट के ऊपर तीन क्वेश्चन पेपर साइन करते है और तीनों के तीनों बैलेट में आ जाते हैं और फिर आप एक सवाल के तीन-तीन सप्लीमैंटरी करते हैं, इट इज नाट फेयर ।

SHRI SOM PAL: This is a procedural thing. Why did not your Secretariat look into it?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am going to find out. Please sit down; I am not allowing any more questions. Yes, Mr. Raju

श्री चतुरानन मिश्र : इसमें भी क्या हाई टेक्नालाजी यूज होती है ?

उपसभापति : इसमें हाई टेक्नालाजी का इस्तेमाल करेंगे ।

To probe it also. I will use high technology.

SHRI J. S. RAJU: Madam, I want to know whether it is a fact that the size of the select panel for direct recruitment, as per Government of India's relevant rules cannot be larger than the number of vacancies at the time of interview, and that reserved vacancies cannot be converted into general ones. I owuld also like to know from the hon. Minister what the number of general vacancies of posts of Assistant Commissioner in November, 1993 was when the interviews for direct recruitment were held, and what the number of reserved vacancies was and how these vacancies were filled. What was the size of the main select panel and the reserved panel, if any? In the instant case, three general candidates and one S. C. candidate were appointed. This is violation of the Government of India's rules. I would like to know from the hon. Minister, under what provisions this has been done. The KVS says that the vacancy for S.T. will be advertised soon. But there is no post vacant as on date. As such how can it be advertised? Secondly....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please. The whole trouble is, when you ask "firstly, secondly and thirdly" no answers comes and it becomes a zero. So please ask question and let her answer one. Your colleague has asked..

SHRI J. S. RAJU: Just one question, Madam. Why have two more general candidates from the reserve panel been given appointment against the higher post of Deputy Commissioner? Where is the provision for it?

KUMARI SELJA: Madam, the vacancies in the general category were three and there was one reserved vacancy, and they have all been filled up. This is not in violation of the rules. As regards giving additional charge as Deputy Commissioner, this, again, is not in violation of the rules. This is one above and as soon as the recruitment of Deputy Commissioners is done they will be posted here. And there is nothing wrong in this because they are not getting any extra remuneration for this. They are Assistant Commissioners and they are just taking additional charge of the post of Deputy Commissioner.

SHRI J. S. RAJU: Madam I have got one more question.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have clubbed the questions. I cannot allow... (*Interruptions*)... I am not allowing because I have clubbed the questions. It is one question. ... (*Interruptions*)...No, I am sorry. Let me give chances to more Members. I don't want one person to monopolise the whole Question Hour, please. .. (*Interruptions*).

No, I am very sorry. Others can also ask important questions. You can pass it on to your colleague... (*Interruptions*)

Please sit down.

SHRI MD. SALIM: Madam, the questions on the KVS are increasing day by day. This is an important question. My question is that the number of students from the KVS appearing for the secondary examination is decreasing. According to your Performance Budget Report, last year the number of boys sent by the KVS for the secondary school examination throughout the country was reduced by 2,000. What is the reason?

KUMARI SELJA: Madam, I will require a separate notice for this.

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी: उपसभापति महोदया, यह जो बी.डी. शर्मा कमेटी थी, वह भी केन्द्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा गठित की गई थी। अब फिर आपने केन्द्रीय विद्यालय संगठन की इस कमेटी को दोबारा मामला सुपुर्द किया है तो फिर 6 वर्ष तक बीच में यह ह्यूमेन रिसोर्स मिनिस्ट्री कहां से आ गई? इसका अगर ज्युरिडिक्शन नहीं है, इसके रिव्यु की कोई कीमत नहीं है तो वह केन्द्रीय विद्यालय संगठन की रिव्यु कमेटी की रिपोर्ट उन्हीं के पास जो अब आपने दोबारा भेजा है, यह बीच में 6 साल के गैप के लिए ह्यूमेन रिसोर्स मिनिस्ट्री के पास क्या रही? इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? अगर आप यह समझते हैं कि उसमें ह्यूमेन रिसोर्स डवलपमेंट मिनिस्ट्री दखल दे सकती है तो आपके सेक्रेटरी ने जो 1989 में रिव्यु कर के लगभग सब रिकमेंडेशंस को मान लिया था, उनको लागू करवाने में आपको क्या आपत्ति है?

कुमारी शैलजा: मैडम, यही कारण था कि मैं शुरू में ही पूरी सिकुयेंस बताना चाह रही थी। पहली बात तो यह है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन एक आटोनोमस आर्गेनाइजेशन है और अगर आपकी इजाजत हो तो पूरा बता दूं कि शुरू से ले कर अब तक क्या हुआ और किस कारण यह दोबारा हुआ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, you please mention it.

कुमारी शैलजा: 1987 में बी. डी. शर्मा कमेटी कांस्टीट्यूट की गई।.

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी: किस ने की?

कुमारी शैलजा: बोर्ड ने की।

श्री सुन्दर सिंह भंण्डारी: वह तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने की थी, यह सवाल है ओरिजिनल। आपने भी यही कहा है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन कमेटी ने जो बी. डी. शर्मा कमेटी कांस्टीट्यूट की थी उसकी रिपोर्ट मिली थी। अब फिर 6 साल बाद केन्द्रीय विद्यालय संगठन की कमेटी को दोबारा आप जा रहे हैं तो यह 6 साल कहां लग गये?

कुमारी शैलजा: अगर आप थोड़ी सी इनडलजेंस दिखायेंगे तो मैं बता दूंगी।

उपसभापति: आप जरा सुन लीजिये। दो तीन मिनट रह गये हैं।

कुमारी शैलजा: मैडम, 1988 में बी.डी. शर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें करीब 40 रिकमेंडेशंस थीं। यह रिकमेंडेशंस एग्जामिन की गई। एक इम्पावर्ड कमेटी थी जिसको सेक्रेटरी ने चेयर किया और अपने वियुज कमिश्नर को मार्च, 1989 में नेसेसरी एक्शन के लिए दिये। इनको बोर्ड आफ गवर्नर्ज

के सामने प्लेस किया जाता है। यह जरूरी है क्योंकि यह आटोनोमस आर्गेनाइज़ेशन है और बाकायदा बोर्ड आफ गवर्नर्ज़ इस संगठन का है। इसको अगस्त 1990 में बोर्ड आफ गवर्नर्ज़ के सामने रखा गया क्योंकि आफटर आल उनको इस पर वियु लेना पड़ेगा। बोर्ड आफ गवर्नर्ज़ ने कमिश्नर को आथोराइज़ किया एक सब कमेटी सेट अप करने के लिए ताकि इनके इम्पलीमेंटेशन के वेज़ एंड मीन्ज़ देखे जा सकें इस सब कमेटी ने 1992 में अपनी रिपोर्ट दी और इम्पलीमेंटेशन के लिए इसके एक्शन प्वाइंट रिकार्ड किये गये। तब तक नया बोर्ड आफ गवर्नर्ज़ बन गया और 6-9-93 को उनके सामने रखा गया। नये बोर्ड आफ गवर्नर्ज़ ने डिसाइड किया कि इसको दोबारा से कमेटी को दिया जाए। वह यह डिसाइड करेंगे। इसमें हम कोई दखलअंदाजी नहीं कर सकते क्योंकि यह एक आटोनोमस बॉडी है।

After all, it is an autonomous organisation with its own Board of Governors. If they so decide that they want to send to another sub-committee, we cannot stop them from doing so. Therefore, a new sub-committee with Mr. Devinder Singh as Chairman has been constituted and they are expected to give their report. As I said in the beginning, in the next six months or so, the report will come and it should be placed before the Board of Governors and we hope that we will accept.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: How do you ensure it?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would say that the Minister has answered your question. She said that the Board of Governors has changed. So this has happened. It is an autonomous body. If they interfere in its affairs, then there will be a question as to why they are interfering and there are ulterior motives. That is why she has explained it to the House.

Now, the Question Hour is over.

Written Answers to Questions

बिहार में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

*666. **श्री नागमणि** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया है जबकि बिहार से छोटे कई अन्य राज्यों में ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार बिहार में कब तक एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) इस समय देश में 12 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो कि आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, मेघालय, पांडिचेरी, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना कुछ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अथवा केन्द्र-राज्य विचारों के अनुरूप की गई है।

1986 की शिक्षा नीति में, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, संस्थानों की संख्या में वृद्धि करने के बजाए मौजूदा संस्थानों में सुविधाओं के समेकन और विस्तार पर बल दिया गया है।

इसको दृष्टिगत रखते हुए, सरकार का बिहार में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।